

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1121/2010/जयपुर.

2. अपील संख्या – 1122/2010/जयपुर.

मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

वृत्त-बी, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद

उप-राजकीय अभिभाषक

..... प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :25.07.2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), पंचम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 18 व 19/अपील्स-11/2009-10/जे.पी.बी. में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 18.03.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से कारण इनको एक ही निर्णय से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक 1261 दिनांक 18.6.2007 व पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 05.07.2007 से व्यवहारी द्वारा मैसर्स अरि.


एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) को बेचे गये पोलिस्टर स्टेपल फाइबर का क्रय विवरण वास्ते आई.टी.सी. सत्यापन हेतु प्राप्त होने पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत वैट-09 में घोषित विक्रय से मिलान नहीं होने पर व्यवहारी को वैट अधिनियम की धारा 25(1), 61, 55 के तहत कारण बताओ नोटिस दिनांक 7.7.2007 को जारी किया गया। नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुनील मालपानी के उपस्थित हुए। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत वैट-09 का मिलान किया किये जाने पर, अपीलार्थी व्यवहारी के बांसवाड़ा एवं उदयपुर डिपो से की गई स्टेपल फाइबर की बिक्री को प्रपत्र वैट-09 में शामिल नहीं होना पाया गया। इस पर अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14.8.2007 को उक्त दोनों डिपो द्वारा जारी इन्वॉयसेज की प्रतियां मय संशोधित वैट-09 प्रस्तुत की गई, परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा फॉर्म वैट-07 में अंकित वैट इन्वॉयसेज एवं क्रेता व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत वैट इन्वॉयसेज का मिलान नहीं होने के कारण व्यवहारी को समस्त वैट इन्वॉयसेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2087 दिनांक 9.10.2007 से अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2006-07 की चारों तिमाहियों की कर निर्धारण पत्रावलियां सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-द्वितीय, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) को स्थानान्तरित की गई। जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2006-07 के लिये कर निर्धारण का क्षेत्राधिकार कर निर्धारण अधिकारी को प्राप्त होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड की जांच किये जाने पर पाया गया कि व्यवहारी के बांसवाड़ा एवं उदयपुर डिपो द्वारा वर्ष 2006-07 की तृतीय/चतुर्थ तिमाही के दौरान मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड, गुलाबपुरा एवं अन्य फर्मों को की गई बिक्री क्रमशः ₹ 8,56,07,067/- व ₹ 21,96,24,420/- को अपने नियमित रिटर्न्स में नहीं दर्शाया है एवं इस बिक्री राशि के सम्बन्ध में दिनांक 7.7.2007 का कारण बताओ नोटिस जारी होने पर क्रमशः दिनांक 13.7.2007 व 11.7.2007 को प्रस्तुत संशोधित रिटर्न में दर्शाया जाकर इसका कर क्रमशः ₹ 34,24,283/- व रूपये 87,84,984/- निर्धारित टैक्स अवधि के बाद दिनांक 9.7.2007 को जमा कराया गया है। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2006-07 की चारों तिमाहियों के बिक्री विवरण प्रपत्रों की जांच करने पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों की कुल विक्रय राशि में से क्रेडिट नोट्स के जरिये दिये गये डिस्काउण्ट की छूट चाही गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अघोषित बिक्री एवं क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये Ex Post Facto Discount को अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-11 के तहत अनुज्ञेय नहीं होना मानते हुए व्यवहारी को, आलौच्य अवधियों के लिये अधिनियम की धारा 25, 61, 55 के तहत विस्तृत कारण बताओ नोटिस, तारीख पेशी दिनांक 12.11.2007 हेतु जारी किये गये। उक्त नोटिस की

पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के वर्ष 2006-07 की तृतीय एवं चतुर्थ तिमाही के संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जो नियम 19(6) के प्रावधानानुसार नहीं है, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उक्त रिवाईज रिटर्न अस्वीकार किये जाने के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलों के गुणावगुण पर विचार करने पर पाया कि जिन तथ्यों से असन्तुष्ट होकर अपीलें प्रस्तुत की गईं हैं, उन तथ्यों पर सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचन, वृत्त द्वितीय, जयपुर द्वारा दिनांक 05.12.2007 को आदेश पारित कर दिया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 13.07.2007 प्रभावहीन हो जाने के कारण अपीलें निष्प्रभावी हो गयी हैं, इसलिए उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2009 के द्वारा अपीलें खारिज कर दीं। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन पृथक-पृथक आदेश 18.03.2010 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी की ओर से उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गईं हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण समय पर रिवाईज रिटर्न प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उनका कथन है कि जैसे ही जानकारी में आया कि रिवाईज रिटर्न प्रस्तुत नहीं की गई है, तुरन्त ही रिवाईज रिटर्न कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी का दायित्व था कि यदि रिवाईज रिटर्न देर से प्रस्तुत की गई है तो उसमें दर्शाई गई बिक्री का सत्यापन किये जाने के पश्चात ही उसे अस्वीकार करना चाहिए था किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा नहीं करके उसमें प्रदर्शित बिक्री को करापवंचित बिक्री मानते हुए रिवाईज रिटर्न को अस्वीकार किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि वर्ष 2006-07 की तृतीय/चतुर्थ तिमाही की बिक्री पर देय कर दिनांक 9.7.2007 को राजकोष में जमा करवाकर संशोधित रिटर्न दिनांक 13/11 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत कर दी गयी थी। इस प्रकार व्यवहारी की उक्त सद्भावी त्रुटि में किसी प्रकार का करापवंचन का आशय नहीं था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की तृतीय तिमाही की बिक्री को अपवंचित मानकर शास्ति आरोपण करना अविधिक है।


विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा बांसवाड़ा एवं उदयपुर ब्रांचों की वर्ष 2006-07 की तृतीय तिमाही की विवादित बिक्री पर देय कर अदा कर, दिनांक 27.01.2007 को प्रस्तुत रिटर्न में घोषित नहीं किया है। तत्पश्चात वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर की जांच के कारण सुधार करते हुए वैट नियम 19(6) के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि के पश्चात पेश संशोधित रिटर्न में बिक्री घोषित किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अपवंचित बिक्री मानते हुए इस पर कर, ब्याज व शास्ति आरोपित किया जाना पूर्णतः विधिक एवं न्यायोचित है।



इसी प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 (1.4.09 से 30.09.09) की अवधि के रिटर्न में घोषित में क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट पर देय कर की छूट/रिफण्ड के क्लेम को करापवंचन मानते हुए धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के आधार पर साथ अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया। उनका कथन है कि वर्ष 2006-07की तृतीय तिमाही की रिवाईज रिटर्न को अस्वीकार किये जाने व उसके आधार पर करापवंचन के अभियोग में कर, शास्ति व ब्याज का आरोपण किए जाने सम्बन्धी आदेश सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, वृत्त द्वितीय, जयपुर द्वारा दिनांक 5.12.2007 को पारित कर दिया गया है, इस प्रकार चूंकि विवादित रिवाईज रिटर्न के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश दिनांक 05.12.2007 को पारित कर दिया है अतः उक्त रिटर्न के सम्बन्ध में वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त -बी जयपुर द्वारा पारित किया गया आदेश प्रभावहीन हो जाने के कारण, जिस ओदश के अपीलें प्रस्तुत की गई है, वे सारहीन हो जाने से खारिज योग्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 719, 743से 745 व 405 एवं 406/2011/जयपुर, जो अपीलार्थी की अपीलें हैं, में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2012 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि हस्तगत अपीलों से सम्बन्धित मुख्य अपील का निस्तारण कर बोर्ड द्वारा दिनांक 26.09.2012 को किया जा चुका है इसलिए प्रस्तुत अपीलें सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उप राजकीय अभिभाषक की ओर से उद्धृत राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 719, 743से 745 व 405 एवं 406/2011/जयपुर मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त द्वितीय, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2012 का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त उद्धृत निर्णय के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हस्तगत अपीलों से सम्बन्धित अवधि की मुख्य अपील का निर्णय माननीय खण्डपीठ के उद्धृत निर्णय दिनांक 26.09.2012 से कर दिया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

“उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इन प्रकरणों में मुख्य विवाद राज्य में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के स्थान पर दिनांक 01.04.2006 से वेट अधिनियम प्रभावी होने के पश्चात वेट अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित ‘विक्रय मूल्य’ निर्धारण से सम्बन्धित है। इस विवादित बिन्दु के विनिश्चयन हेतु राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 एवं वेट अधिनियम के तहत



'विक्रय मूल्य' परिभाषित करने सम्बन्धी विधिक प्रावधानों का अवलोकन करना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :-

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(39) -

"sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof ;

"Explanation I :- In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

"Explanation II :- Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price but the burden of such proof shall lie on the dealer."


वेट अधिनियम की धारा 2(36) -

"sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. - In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. - Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. - Where according to the terms of a contract, the cost of freight and other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;



उक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की Regime में प्रथम बिन्दु पर करारोपण के प्रावधान होने से इस अधिनियम की धारा 2(39) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' का आशय व्यापार में सामान्यतः प्रचलित प्रथा के अनुसार छूट अथवा डिस्काउण्ट के रूप में अनुज्ञात की गई रकम कम करते हुए विक्रय प्रतिफलार्थ किसी व्यवहारी को संदत्त अथवा संदेय राशि है। इस धारा के नीचे दिये गये दोनों स्पष्टीकरणों में इन्वॉयस से प्रत्यक्ष विक्रय के समय का नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही व्यवहारी को विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त अथवा संदेय राशि से अलग किये जाने तथा कार्योत्तर प्रदान किया गया डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि अलग नहीं होने का प्रावधान किया हुआ नहीं है, परन्तु वेट अधिनियम की Regime में इन्पुट टैक्स क्रेडिट का प्रावधान किया जाकर व्यवहारी द्वारा माल विक्रय के समय जारी वेट इन्वॉयस पर प्रकट कर का ही क्रेता व्यवहारी को इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम अनुज्ञात किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-॥ में यह प्रावधित किया गया है कि इन्वॉयस से प्रकट विक्रय करते समय दिये गये नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट ही विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त अथवा संदेय राशि से अलग किया जायेगा, परन्तु कार्योत्तर प्रदान किये गये डिस्काउण्ट, प्रोत्साहन, छूट अथवा ईनाम आदि अलग नहीं होंगे।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1994) 2 एस.सी.सी. 14 के पैरा 8 में किसी अधिनियम की धारा के स्पष्टीकरण की व्याख्या किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिपादित किया गया सिद्धान्त इस प्रकार है :-

"It is settled law that explanation to a section is not a substantive provision by itself. It is entitled to explain the meaning of the words contained in the section or clarify certain ambiguities or clear them up. It becomes a part and parcel of the enactment. Its meaning must depend upon its terms. Sometimes it would be added to include something within it or to exclude from the ambit of the main provision or some condition or words occurring in it. Therefore, the explanation normally should be so read as to harmonise with and to clear up any ambiguity in the same section."

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी वेट अधिनियम की धारा 2(36) के स्पष्टीकरण-॥ में इन्वॉयस से प्रकट विक्रय करते समय दिया गया नगद अथवा ट्रेड डिस्काउण्ट विक्रय प्रतिफलार्थ संदत्त या संदेय राशि से अलग किये जाने तथा कार्योत्तर दिये गये डिस्काउण्ट को विक्रय मूल्य से अलग नहीं किये जाने बाबत स्थिति स्पष्ट करने में मूल धारा के प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार वेट अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' सपठित स्पष्टीकरण-॥ के विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के प्रोत्साहन हेतु अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स/डीलर्स हेतु घोषित डिस्काउण्ट स्कीमों अथवा मौखिक अनुबंध के तहत कंटीनजेंट डिस्काउण्ट के



रूप में स्कीम अवधि की समाप्ति पर क्रेडिट नोट के जरिये बाद में दिये गये डिस्काउण्ट की रकम को व्यवहारी की ओर से उत्पाद विक्रय करते समय वितरक/डीलर को जारी वेट इन्वॉयस में प्रत्यक्षतः दर्शायी गयी विक्रय प्रतिफलार्थ संदेय राशि से अलग नहीं किया जा सकता।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त अभिनिर्णयों में केरल जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम 1963 की धारा 2(xxvii) के अन्तर्गत परिभाषित 'टर्नओवर' व इसके स्पष्टीकरण 2(ii) एवं करयोग्य टर्नओवर निर्धारण सम्बन्धी केरल जनरल सेल्स टैक्स नियम 1963 के नियम 9(ए) तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(एच) में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' सम्बन्धी विधिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए विक्रय इन्वॉयस में नहीं दर्शाये गये ट्रेड डिस्काउण्ट को भी माल के विक्रय मूल्य निर्धारण अथवा करयोग्य पण्यवर्त निर्धारण हेतु कम किये जाने योग्य होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1980) 45 एस.टी.सी. 32 एवं (1993) 90 एस.टी.सी. 170 से सम्बन्धित प्रकरणों में तत्समय प्रभावी केरल जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1963 की धारा 2(xxvii) मय स्पष्टीकरण 2(ii) एवं केरल जनरल सेल्स टैक्स नियम 1963 के नियम 9(ए) के विधिक प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-

Kerala General Sales Tax Act, 1963

Sec. 2(xxvii) : "turnover" means the the aggregate amount for which goods are either bought or sold, supplied or distributed by a dealer, either directly or through another, on his own account or on account of others, whether for cash or for deferred payment or other valuable consideration.

Explanation 2(ii) is as follows :

- (ii) "any cash or other discount on the price allowed in respect of any sale and any amount refunded in respect of articles returned by customers shall not be included in the turnover."

Kerala General Sales Tax Rules 1963

Rule 9(a) provides as follows -

"Rule 9. Determination of taxable turnover - In determining the taxable turnover, the amounts specified in the following clauses shall subject to the conditions specified therein, be deducted from the total turnover of the dealer:-

- (a) All amounts allowed as discount, provided that such discount is allowed in accordance with the regular practice in the trade and

provided also that the accounts show that the purchaser has paid only the sum originally charged less the discount."

अतः विद्वान् अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उद्धरित किये गये विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों से सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' के प्रावधानों के अनुरूप, प्रभावी नियमों/ विधिक प्रावधानों के तहत परिभाषित 'टर्नओवर' व 'स्पष्टीकरण' तथा 'विक्रय मूल्य' की व्याख्या करते हुए व्यापार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ट्रेड डिस्काउण्ट देय होने का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है, वह सिद्धान्त राज्य में दिनांक 01.04.2006 से प्रभावी वेट अधिनियम की धारा 2(36) स्पष्टीकरण-॥ में परिभाषित 'विक्रय मूल्य' की परिवर्तित परिभाषा के परिपेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है।

ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 2(36) स्पष्टीकरण-॥ के विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान अपने उत्पादों की बिक्री में बढ़ौतरी एवं प्रोत्साहन हेतु कंटीनजेंट डिस्काउण्ट के रूप में उत्पाद की बिक्री के बाद क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट मय वेट की रकम विक्रय करते समय वेट इन्वॉयस से प्रकट डिस्काउण्ट न होकर कार्यान्तर डिस्काउण्ट की श्रेणी में आने से यह 'विक्रय मूल्य' में से अलग अथवा कम किये जाने योग्य नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के आलौच्य अवधियों में बिक्री बाद क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट की विवादित राशि पर अधिसूचित दर से कर देयता मानते हुए इस राशि पर व्यवहारी की ओर से बिक्री विवरण प्रपत्रों में क्लेम किये गये क्रेडिट/रिफण्ड को अस्वीकार किया जाना पूर्णतः विधिसम्मत एवं उचित है।

अतएव अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों की कर योग्य बिक्री के बाद क्रेडिट नोट के जरिये दिये गये डिस्काउण्ट की विवादित राशि पर अधिसूचित दर से कर जमा करवाया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया कर विधिक प्रावधानों के अनुरूप उसे रिफण्ड योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित न्यायिक दृष्टान्त (1979) 44 एस.टी.सी. 102 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य एवं विधिक स्थिति भिन्न होने के कारण उक्त अभिनिर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरणों के सन्दर्भ में प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर के न्यायिक दृष्टान्त (2003) 6 टैक्स अपडेट 317 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों में विवादित कर योग्य बिक्री के टर्नओवर पर संदेय योग्य कर की राशि जमा कराने में हुए विलम्ब के लिये नियमानुसार अनुवर्ती ब्याज का आरोपण किया जाना भी न्यायसंगत है।



कर निर्धारण अधिकारी के रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों के दौरान अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स/ ग्राहकों को दिये गये ट्रेड डिस्काउण्ट का सम्पूर्ण इन्द्राज अपनी लेखा-पुस्तकों में किया हुआ है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त विवादित विशिष्टियों को अपनी बहियात में छिपाया जाना भी प्रमाणित नहीं होता है।


माननीय उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तामिलनाडू राज्य (2000) 11 एस.सी.सी. 687 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवहारी द्वारा बहियों में माल की खरीद/बिक्री का इन्द्राज होने की स्थिति में उसके विरुद्ध करापवंचन की शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय के अभिनिर्णय का संबंधित पैरा इस प्रकार है :-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are no included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

इसी सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में पारित अभिनिर्णय (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के पैरा 22 में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकार है :-

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."

अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त तथा विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में उद्धरित किये गये विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपने डिस्ट्रिब्यूटर्स/ ग्राहकों को दिये गये डिस्काउण्ट की कर योग्य घोषित नहीं की गई राशि पर कर उदग्रहीत योग्य होना अवधारित किया जाकर इस कर राशि का व्यवहारी द्वारा अपवंचन करना मानते हुए अपील संख्या



405/11 एवं 406/11 से सम्बन्धित प्रकरणों में व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित की गई शास्ति विधिसम्मत प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति की पुष्टि की जाकर यथावत रखने में विधिक भूल की है। अतः इस बिन्दु पर अपील संख्या 405-406/2011 में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है।


अपीलार्थी की अपील संख्या 719/2009 से सम्बन्धित प्रकरण में व्यवहारी द्वारा बांसवाड़ा व उदयपुर ब्रांचों का व्यवसाय दिनांक 28.11.2006 व 2.12.2006 को प्रारम्भ किया जाकर आलौच्य अवधि की बिक्री पर देय कर न तो निर्धारित अवधि में संदाय किया गया और न ही दिनांक 27.01.2007 को प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों में घोषित किया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की मैसर्स आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड गुलाबपुरा को की गई बिक्री के आई.टी.सी. सत्यापन का पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बी, जयपुर को प्राप्त होने पर इस अघोषित बिक्री का पता चलने के पश्चात व्यवहारी द्वारा इस पर देय कर अदा/जमा करते हुए संशोधित रिटर्न दिनांक 13.7.2007 को पेश किया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा विवादित अघोषित बिक्री पर वसूल किया गया कर निर्धारित कर अवधि में राजकोष में जमा नहीं कराया गया तथा दिनांक 13.7.2007 को प्रस्तुत संशोधित रिटर्न वेट नियम 19(6) के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि दिनांक 30.4.2007 के पश्चात पेश किये जाने के कारण इसका विधिक रूप से प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की वर्ष 2006-07 की तृतीय तिमाही की विवादित बिक्री को दिनांक 27.01.2007 को प्रस्तुत रिटर्न में घोषित नहीं करने एवं देय कर निर्धारित अवधि में जमा नहीं करवाकर कर अपवंचन करना मानते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध धारा 61 के तहत आरोपित की गई शास्ति विधिसम्मत एवं उचित है तथा इसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है। अतः इस बिन्दु पर भी अपील संख्या 719/2009 अस्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश यथावत रखे जाते हैं।

परिणामतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 743/09, 744/09, 719/09 व 745/2009 को अस्वीकार किया जाता है तथा अपील संख्या 405/2011 व 406/2011 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित कर व ब्याज की सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि की जाती है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की पुष्टि किये जाने की सीमा तक अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाते हैं।”



प्रत्यर्थी व्यवहारी के ही प्रकरण में समान बिन्दुओं पर राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 719, 743से 745 व 405 एवं 406/2011/जयपुर मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,वृत द्वितीय, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2012 से स्पष्ट होता है कि हस्तगत अपील में विवादित अवधि से सम्बन्धित मुख्य अपील का निर्णय पारित किया जा चुका है इसलिए कर बोर्ड में अपीलीर्थी की लम्बित हस्तगत अपीलों में निर्णय दिये जाने आवश्यकता नहीं है। फलतः हस्तगत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य